रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1 JUN 1974

सं० 111] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 1974/वैशाख 19, 1896
No. 111] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 1974/VAISAKHA 19, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May 1974

No. 46/2/CI/74.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 8th May, 1974, is hereby published for general information:—

"No. 1729

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:—

DIRECTION 2

1. In Direction 2,—

(a) item (iv) shall be omitted and items (v) to (xi) shall be renumbered as items (iv) to (x) respectively; and

(b) after item (x) as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

"(xi) Calling attention notices".

DIRECTION 13A

2. After Direction 13, the following new Direction 13A shall be inserted, namely:—

Answers to questions to be completed.

"13-A. Answers to questions given in the House shall be complete and, as far as possible, each part thereof shall be answered separately.

If, on his attention being drawn to an answer, the Speaker is satisfied that it does not fulfil this condition, he may direct the Minister to give a complete answer."

S. L. SHAKDHER.
Secretary-General."

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 1974

सं० 46/2/सी 1/74.—लोक सभा समाचार–भाग 2 दिनांक 8 मई, 1974 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 1729

लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं:—

1. निदेश 2 में,—

निदेश 2

(क) मद (चार) का लोप किया जाएगा और मद (पांच) से (ग्यारह) को क्रमशः मद (चार) से (दस) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित की गई मद (दस के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ग्यारह) ध्यानाकर्षण सूचनाएं"

निदेश 13–क

2. निदेश 13 के पश्चात्, निम्नलिखित नया निदेश 13क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होंगे ।

13क. सभा में दिये गये प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होंगे तथा, यथासंभव, उसके प्रत्येक भाग का उत्तर पृथक् रूप से दिया जाये ।

यदि किसी उत्तर की ओर उनका ध्यान दिलाये जाने पर अध्यक्ष संतुष्ट हो जाये कि यह इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो वह मंत्री को पूर्ण उत्तर देने के लिए निदेश दे सकता है ।"

श्यामलाल शकधर,
महासचिव ।"

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974